Decade of disabled Persons

3169. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the period from 1993 to 2002 has been declared as a decade of disabled persons:

(b) whether an India-China seminar on multi-sectoral collaborative action for people with disabilities was held recently;

(c) if so, the salient features of the seminar; and

(d) the names of other international agencies who had attended the seminar and the decisions taken therein?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The period from 1993-2002 has been declared as the Asian and Pacific Decade of Desabled Persons by UN-ESCAP.

(b) Yes, Sir. The Seminar was held from 25th March, 1997 to 2nd April, 1997 in New Delhi.

(c) Statement-I is laid on the Table of the House (*See* below).

(d) Statement-II is laid on the Table of the House.

Statement-I

Salient Features of the Seminar

The main objective of the Seminar was to bring together the officials of the diverse Ministries and NGO's from India and China to evolve a multisectoral strategy for inclusion of the people with disabilities in the mainstream policies and programmes.

2. The Seminar was attended by 84 participants from India and China. 16 member Chinese delegation included the Government officials from diverse Ministries and China Disabled Persons Federation. The participants from India included senior officials at central and state level from various sectors. Besides, representatives of eminent NGOs in the fields of disability also participated. Working Groups were constituted to specifically discuss issues relating to education, health, vocational training and employement, communication, coordination, legislation and planning and resources allocation for giving suitable recommendations concerning fulfilment of targets for implementation of the agenda for action of Asia and Pacific Decade of Disabled Persons. Chinese delegation and some of the resource persons were also taken to Bangalore, Young India Project in Andhra Pradesh and Spastic Society of Northern India, New Delhi to enable them to get a perspective on the work of voluntary organisations for the people with disabilities at the gross-roots.

Statement-II

The names of other International Agencies from abroad who participated in the Seminar

1. Ms Barbara Murray,
   ILO (EASMAT),
   Bangkok,
   Thailand.
2. Ms. San Yuenwah,
   Social Affairs Officer,
   Social Development Division,
   ESCAP,
   Bangkok,

Various decisions were taken on inter-sectoral issues and multisectoral collaboration for realising the goal of equal opportunities and full participation of people with disabilities. Certain concrete areas were identified in the area of education, health, vocational training and employment, and communication for inclusion of concerns of people with disabilities in the mainstream policies and programmes of relevant sectors. Similary inter-sectoral issues were also discussed and recommendations were made for greater coordination between various sectors, and allocation of resources for the disability-related concerns by all sectors for effective implementation of the Act.

Introducing total Prohibition in the Country

3170. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of States in the country where the unanimous resolution of the Lok Sabha in March, 1996, for introducing total prohibition in the country are followed;

(b) the names of the States alongwith dates who are following the resolution;

(c) whether these States are following the resolution of the Lok Sabha or passing their own State Prohibition Act; and

(d) name of the States who have their own Prohibition Act?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विकलांग व्यक्तियों के लिए बजटीय आवंटन करना

3171. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या की तुलना में बजट में आवंटित राशि बहुत कम है;

(ग) क्या सरकार उनकी संख्या के अनुसार बजट प्रावधान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और सरकार इन व्यक्तियों की जीविका को साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) केवल तीन विकलांगताओं (अर्थात् दृष्टि सम्प्रेषण तथा चलन) को शामिल करते हुए 1981 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.8 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति हैं। इसी संगठन द्वारा चार प्रकार की विकलांगता (अर्थात् दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा लोकोमीटर) को शामिल करते हुए 1991 में किए गए नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि 1.9 प्रतिशत जनसंख्या विकलांग है। इन दोनों सर्वेक्षणों ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटनों हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) सरकार इन व्यक्तियों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई कर रही है जैसा कि दिए गए विवरण में उल्लेख किया गया है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था

(1) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) विधेयक, 1995 की धारा 33 के अनुसार प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में ऐसी रिक्तियों पर उन विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी को नियुक्त करेगी जो कम से कम 3 प्रतिशत होगी जिसमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण विकलांगता, (3) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित होगी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियों को केन्द्र सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह ''ग'' तथा ''घ'' पदों में शारीरिक, श्रवण और अस्थि विकलांगों के लिए प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अधीन समूह ''क'' तथा ''ख'' पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण – दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत का विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र सं॰ 36035/16/91-स्थापना (एस सी टी) दिनांक 18.2.97 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(2) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मदद के लिए 41 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 47 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना अनन्य रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त समान्य रोजगार कार्यालय भी विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(3) सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उन्हें रोजगार में स्थापन करना है।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है:—

(क) बिक्री स्टाल, कियोस्कों तथा छोटी-छोटी दुकानों का आबंटन,

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज योजना की विशिष्ट दर के अंतर्गत ब्याज की सांकेतिक दरों पर ऋण,